

559,736 कुल किता 5 कुल रकबा 8 बीघा
 2 बिस्वा बाबे शाफ रेली लटसील बाडी में से 1/6
 हिस्सा को प्रा०पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने से
 पूर्व ही दिनांक 8.12.17 को 2 के लाख रुपये
 में विक्रम पत्र गैर सापला कमला देवी के पक्ष में
 उप पंजीपत्र बाडी के प्रथम पंजीपत्र करा दिमाई
 और और पर कब्जा दे दिया गया है। इस प्रकार
 से गैर सापला कमला देवी उपरोक्त ख० नं० की
 आराजीपत्र में 1/6 हिस्से को संयुक्त खातेदार
 कारतबार है इस प्रकार से गैर सापला कमला देवी
 उक्त खसरा नम्बरान में सह खातेदार कारतबार है।
 कमला देवी का उक्त आराजी खसरा नम्बरान में
 दाखिला खारिज न हो जाये इस बाबत ही यह
 प्रार्थना पत्र पेश कर ता न्यायालय से जारी किया
 गया है। तथा सापलान ने आगे तक गैर सापलान
 को हलव कराने हेतु न्यायालय के आदेश के
 बावजूद कोई स्टेप नहीं लिया है और न ही
 सापलान प्रेस करता ही चाहते हैं वैसे भी कानून
 एक सह खातेदार इसरे सह खातेदार के जरिये आसानी
 निषेधाज्ञा पावन्त नही कर सकता है। अतः सापलान
 करि प्रस्तुत प्रा०पत्र 212 R.A. के बाबत आसानी
 निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है तथा जारी युडा
 T.I. आदेश तारीखी 26.12.17 निरस्त कर खारिज
 किया जाता है पत्रावली फेंसल सुभा दे। तब
 से कानूनी जकर भुलका के साथ दाखिल दफ्तार
 में / लटसीलदार बाडी को लटसीलदार